पटना में दिनांक–05 अगस्त, 2025 मंगलवार को पूर्वाह्न 10:30 बजे हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

अनु०जाति एवं अनु०जनजाति कल्याण विभाग

1. राज्य स्कीम मद से डॉ० भीमराव अम्बेडकर आवासीय विद्यालय प्रखण्ड–सह–अंचल नवीनगर, जिला– औरंगाबाद में विद्यालय भवनों (720 आसन) का निर्माण कार्य भवन निर्माण विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये तकनीकी अनुमोदित स्थूल प्राक्कलन कुल ₹65,80,11,000/–(पैंसठ करोड़ अस्सी लाख ग्यारह हजार रू०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति। — 1. स्वीकृत।

उद्योग विभाग

2. औरंगाबाद जिला अन्तर्गत कुटुम्बा अंचल में कुल रकबा–441.79 एकड़ रैयती भूमि का आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, पटना के माध्यम से अधिग्रहण एवं अधिग्रहण की प्राक्कलित राशि रू० 2,84,28,28,415.00 (रूपये दो सौ चौरासी करोड़ अट्ठाईस लाख अट्ठाईस हजार चार सौ पन्द्रह) मात्र के व्यय की स्वीकृति के संबंध में। — 2. स्वीकृत।

उद्योग विभाग

3. कटिहार जिला के अंचल–मनसाही अंतर्गत मौजा–नारायणपुर थाना नं०–115 एवं मौजा–बसंतपुर, थाना नं०–113 में कुल रकबा–252.30 एकड़ भूमि का आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, पटना के माध्यम से अधिग्रहण एवं अधिग्रहण की प्राक्कलित राशि रू० 39,00,26,400/– (रूपये उनचालीस करोड़ छब्बीस हजार चार सौ) मात्र के व्यय की स्वीकृति के संबंध में। — 3. स्वीकृत।

कृषि विभाग

4. कृषि विभाग, बिहार, पटना के अधीन विभिन्न कार्यालयों में भिन्न–भिन्न पदनामों से स्वीकृत 712 पदों का समर्पण/प्रत्यर्पण करते हुए बिहार कृषि अधीनस्थ सेवा कोटि–09 (सांख्यिकी) संवर्ग अन्तर्गत कृषि सांख्यिकी संगणक के 534 पद एवं कृषि सांख्यिकी अन्वेषक के 178 पद अर्थात कुल 712 पदों के पुनर्गठन/सृजन की स्वीकृति के संबंध में। — 4. स्वीकृत।

कृषि विभाग

5. "बिहार कृषि अधीनस्थ सेवा कोटि–5 (पौधा संरक्षण) (संशोधन) नियमावली, 2025" के गठन की स्वीकृति। — 5. स्वीकृत।

नगर विकास एवं आवास विभाग

6.	बिहार भवन उपविधि, 2014 (संशोधित, 2025) की उपविधि –66 (3) में संशोधन की स्वीकृति के संबंध में।	6.	स्वीकृत।

परिवहन विभाग

7.	अन्तर्राज्यीय मार्गों पर लोक निजी भागीदारी योजना (पी०पी०पी०) अंतर्गत 44 सीटर वाले 200 AC & Non AC बसों के परिचालन हेतु निजी बस ऑपरेटरों को पीक साईड से रू० 150 प्रति सीट एवं ऑफ पीक साईड से रू० 300 प्रति सीट प्रोत्साहन राशि के रूप में 05 वर्षों के लिए 02% आकस्मिकता मद सहित कुल रू० 36,35,28,000/– (छत्तीस करोड़ पैंतीस लाख अठाईस हजार रूपये) व्यय की स्वीकृति एवं वर्ष 2025–26 में योजना के सुचारू रूप से संचालन हेतु 02% आकस्मिकता मद सहित 7,27,06,000/– (सात करोड़ सताईस लाख छः हजार रूपये) बिहार आकस्मिकता निधि से व्यय की स्वीकृति के संबंध में।	7.	स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

8.	गोपालगंज जिलान्तर्गत अंचल–विजयीपुर, मौजा–नोनापाकड़, थाना सं०–70, खाता सं०–167, खेसरा सं०–01, रकबा–26.89 एकड़, किस्म–गैरमजरूआ मालिक परती कदीम एवं मौजा–खिरीडीह, थाना सं०–71 खाता सं०–129, खेसरा सं०–80 रकबा–5.77 एकड़, किस्म–गैरमजरूआ मालगुजार परती कदीम कुल प्रस्तावित रकबा–32.66 एकड़ भूमि पर औद्योगिक क्षेत्र के निर्माण हेतु सशुल्क आधार पर कुल राशि–11,39,01,750/– (ग्यारह करोड़ उनतालीस लाख एक हजार सात सौ पचास) रूपये के भुगतान पर बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (बियाडा) को स्थायी हस्तान्तरण की स्वीकृति के संबंध में।	8.	स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

9.	भागलपुर जिलान्तर्गत अंचल–गोराडीह के मौजा–मोहनपुर, थाना सं०–476, खाता सं०–64 के खेसरा सं०–58 एवं 62 में क्रमशः 50.23 एकड़ एवं 46.66 एकड़ कुल प्रस्तावित रकबा–96.89 एकड़, अधिशेष के तहत अर्जित, बिहार सरकार की भूमि पर नव इंडस्ट्रियल कॉरिडोर निर्माण हेतु उद्योग विभाग, बिहार, पटना को निःशुल्क अन्तर्विभागीय स्थायी हस्तान्तरण की स्वीकृति के संबंध में।	9.	स्वीकृत।

विधि विभाग

10.	बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016 के अंतर्गत मामलों के त्वरित निष्पादन हेतु सहरसा न्यायमंडल एवं नालंदा न्यायमंडल के हिलसा में एक–एक अतिरिक्त जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय के लिए अराजपत्रित कोटि के कुल 18 विभिन्न पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में।	10.	स्वीकृत।

सूचना प्रावैधिकी विभाग

11. राज्य के नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनान्तर्गत छः पेंशन योजनाओं से संबंधित भेजे गये स्वर संदेश (Voice Message) हेतु नामांकन के आधार पर बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली–2024 के नियम–131ज्ञ(त) के आलोक में C-DAC से कुल वास्तविक राशि ₹50,09,070.00 (पचास लाख नौ हजार सत्तर) मात्र पर प्राप्त की गई सेवा की घटनोत्तर स्वीकृति। — **11. स्वीकृत।**

सूचना प्रावैधिकी विभाग

12. मुख्यमंत्री डिजिटल लाइब्रेरी योजना के क्रियान्वयन हेतु कुल राशि ₹94,50,47,000.00 (चौरानवे करोड़ पचास लाख सैंतालीस हजार) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में। — **12. स्वीकृत।**

सामान्य प्रशासन विभाग

13. श्री विजय कुमार (बि०प्र०से०), कोटि क्रमांक–938/2019, तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, बरबीघा, शेखपुरा (सम्प्रति सेवा से बर्खास्त) से प्राप्त पुनर्विलोकन अर्जी को अस्वीकृत करते हुए "सेवा से बर्खास्तगी" संबंधित अधिरोपित दंड को बरकरार रखने के संबंध में। — **13. स्वीकृत।**

परिवहन विभाग

14. बिहार परिवहन क्षेत्रीय आशुलिपिक संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवाशर्त्त) नियमावली, 2025 के गठन की स्वीकृति के संबंध में। — **14. स्वीकृत।**

ऊर्जा विभाग

15. विभागीय संकल्प संख्या–1011 दिनांक–16.03.2022 की कंडिका–10(क) को आंशिक संशोधित करते हुए पीरपैंती (भागलपुर) में सौर ऊर्जा के अधिष्ठापन हेतु बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड को लीज पर उपलब्ध करायी गयी भूमि को टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से चयनित न्यूनतम निविदादाता को निबंधन एवं मुद्रांक शुल्क की अदायगी पर एवं उनके शत–प्रतिशत लागत पर 3x800 मेगावाट (2400 मेगावाट) ताप विद्युत परियोजना स्थापित करने के उद्देश्य से लीज की समान शर्त्तों पर (01 रूपये प्रतिवर्ष के सांकेतिक दर पर) 33 वर्षों अथवा विद्युत आपूर्ति एकरारनामा अवधि, जो न्यूनतम हो, के लिए उपलब्ध कराने एवं उक्त चयनित निविदादाता से न्यूनतम दर (L1) पर 6.08 रूपये मात्र प्रति यूनिट (फिक्स्ड दर 4.165 रूपये एवं फ्यूल दर 1.910 रूपये) की दर से (बिहार विद्युत विनियामक आयोग के अनुमोदन के अधीन) विद्युत क्रय की स्वीकृति के संबंध में। — **15. स्वीकृत।**

उद्योग विभाग

16. नालंदा जिला अन्तर्गत हरनौत अंचल में कुल रकबा–263.15 एकड़ एवं चण्डी अंचल में कुल रकबा–261.80 एकड़ अर्थात समेकित कुल रकबा–524.95 एकड़ भूमि का आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, पटना के माध्यम से अधिग्रहण एवं अधिग्रहण की प्राक्कलित राशि क्रमशः रू० 1,64,90,75,848.00 (रूपये एक अरब चौसठ करोड़ नब्बे लाख पचहत्तर हजार आठ सौ अड़तालीस) मात्र एवं रू० 99,74,66,433.00 (निनानवें करोड़ चौहत्तर लाख छियासठ हजार चार सौ तैंतीस) मात्र अर्थात कुल समेकित राशि रू० 2,64,65,42,281.00 (दो अरब चौसठ करोड़ पैंसठ लाख बेयालीस हजार दो सौ इक्कासी) मात्र के व्यय की स्वीकृति के संबंध में। — **16. स्वीकृत।**

ग्रामीण विकास विभाग

17. लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान/स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन संबंधित कार्यों के क्रियान्वयन एवं परिचालन में संलग्न अंशकालिक स्वच्छता कर्मियों एवं स्वच्छता पर्यवेक्षक–सह–अनुरक्षक के पारिश्रमिक भुगतान एवं सृजित परिसम्पत्तियों के अनुरक्षण (रख–रखाव) हेतु नीति की स्वीकृति के संबंध में। — **17. स्वीकृत।**

नगर विकास एवं आवास विभाग

18. बिहार शहरी आयोजना स्कीम नियमावली, 2025 की स्वीकृति के संबंध में। — **18. स्वीकृत।**

शिक्षा विभाग

19. माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों जहां उपस्कर, प्रयोगशाला उपकरण, पुस्तक, क्रीडा सामग्री एवं कम्प्यूटर आदि अधिष्ठापित है उन विद्यालयों में कार्यरत रात्रि प्रहरी के मानदेय वृद्धि के संबंध में। — **19. स्वीकृत।**

शिक्षा विभाग

20. मध्याह्न भोजन योजना (पी०एम०पोषण) में कार्यरत रसोईया–सह–सहायक को राज्य भत्ता के रूप में राज्य सरकार द्वारा पूर्व से दी जा रही 650/–रू० प्रतिमाह की राशि में 1,650/–रू० प्रतिमाह की अतिरिक्त वृद्धि करते हुए राज्य भत्ता की राशि 2,300/–रू० करने के पश्चात दिनांक 01 अगस्त 2025 से कुल मानदेय 3,300/–रू० प्रतिमाह की दर से भुगतान की स्वीकृति। — **20. स्वीकृत।**

शिक्षा विभाग

21. राज्य के मध्य विद्यालयों में कार्यरत शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों (अंशकालिक) को राज्य सरकार द्वारा स्थापना प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत सहायक अनुदान मद में पूर्व से दी जा रही ₹8000/–प्रतिमाह मानदेय एवं ₹200/–प्रतिवर्ष वार्षिक वेतन वृद्धि में बढ़ोत्तरी करते हुए 01 अगस्त 2025 से कुल मानदेय ₹16000/–(सोलह हजार) एवं वार्षिक वेतनवृद्धि ₹400/–(चार सौ) की दर से भुगतान की स्वीकृति।

21. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

22. राज्य के सरकारी, गैर सरकारी सहायता प्राप्त अनुदानित (अल्पसंख्यक सहित) मध्य एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 7वीं एवं 12वीं तक की छात्राओं को मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रम योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 में 1ली अप्रैल से 31 जुलाई 2025 तक की अवधि के 75 प्रतिशत उपस्थिति के आधार पर वित्तीय लाभ DBT के माध्यम से देने के संबंध में।

22. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

23. राज्य के सरकारी, गैर सरकारी सहायता प्राप्त अनुदानित (अल्पसंख्यक सहित) माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 9वीं एवं 10वीं में छात्र/छात्राओं को मुख्यमंत्री बालिका/बालक छात्रवृत्ति योजना (सामान्य कोटि अल्पसंख्यक सहित) अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 में 1ली अप्रैल से 31 जुलाई 2025 तक की अवधि के 75 प्रतिशत उपस्थिति के आधार पर वित्तीय लाभ DBT के माध्यम से देने के संबंध में।

23. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

24. राज्य के सरकारी, गैर सरकारी सहायता प्राप्त अनुदानित (अल्पसंख्यक सहित) उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 9वीं के छात्र/छात्राओं को मुख्यमंत्री बालिका/बालक साईकिल योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 में 1ली अप्रैल से 31 जुलाई 2025 तक की अवधि के 75 प्रतिशत उपस्थिति के आधार पर वित्तीय लाभ DBT के माध्यम से देने के संबंध में।

24. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

25. विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 2930 दिनांक 22.09.2022 द्वारा मुंगेर विश्वविद्यालय, मुंगेर के लिए पूर्व में सृजित किए गए कुल 151 शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों के पदों का प्रत्यर्पण तथा मुंगेर विश्वविद्यालय, मुंगेर में 20 स्नातकोत्तर विभागों की स्थापना हेतु शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों के कुल 167 पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

25. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

26. राज्य के सरकारी, गैर सरकारी सहायता प्राप्त अनुदानित (अल्पसंख्यक सहित) उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 9वीं से 12वीं की छात्राओं को बिहार शताब्दी मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 में 1ली अप्रैल से 31 जुलाई 2025 तक की अवधि के 75 प्रतिशत उपस्थिति के आधार पर वित्तीय लाभ DBT के माध्यम से देने के संबंध में। — **26. स्वीकृत।**

शिक्षा विभाग

27. "बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त्त) (संशोधन) नियमावली, 2025" की स्वीकृति के संबंध में। — **27. स्वीकृत।**

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

28. आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 05 सह पठित धारा–03 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 को संशोधित करते हुए बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) (तृतीय संशोधन) आदेश, 2025 निर्गत करने के संबंध में। — **28. स्वीकृत।**

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

29. प्रगति यात्रा के दौरान की गयी घोषणा के क्रम में समस्तीपुर जिलान्तर्गत अंचल–कल्याणपुर के मौजा–मुक्तापुर, परतापुर, चाँधरपुर एवं गाढ़ा के विभिन्न खाता एवं खेसरा की कुल रकबा–52.09 एकड़ (भूमि विवरणी संलग्न, परिशिष्ट–I) मुक्तापुर मोईन की भूमि को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने हेतु पर्यटन विभाग, बिहार, पटना को स्थायी निःशुल्क अन्तर्विभागीय हस्तान्तरण की स्वीकृति के संबंध में। — **29. स्वीकृत।**

कृषि विभाग

30. बिहार कृषि सेवा, कोटि–1 (शष्य) के अन्तर्गत समूह–'क' एवं 'ख' के पूर्व से स्वीकृत पदों का आवश्यकतानुसार सम्परिवर्तन एवं सृजन की स्वीकृति के संबंध में। — **30. स्वीकृत।**

खान एवं भूतत्व विभाग

31. बिहार राज्य के जमुई जिलान्तर्गत मैग्नेटाइट (लौह अयस्क) के मजोस एवं भंटा संयुक्त (Combined) ब्लॉक की ई–नीलामी के लिए कंडिका–5 में टेण्डर अप्रूवल कमिटी द्वारा अनुशंसित अनुमानित आरक्षित मूल्य (Value of Estimated Resource) की स्वीकृति के संबंध में। — **31. स्वीकृत।**

स्वास्थ्य विभाग

32. स्वास्थ्य विभाग के अधीन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्यरत आशा कार्यकर्त्ता एवं आशा फैसिलीटेटर के वर्तमान निर्धारित पारितोषिक रूपये 1000/–(एक हजार रू०) मात्र प्रति माह में रूपये 2000/–की अतिरिक्त वृद्धि कर कुल रूपये 3000/–(तीन हजार) मात्र प्रतिमाह पारितोषिक के रूप में किये जाने की स्वीकृति के संबंध में। — **32.** स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

33. राज्य के सभी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, सदर अनुमंडल रेफरल अस्पतालों एवं प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में कार्यरत "ममता" कार्यकर्त्ता के प्रोत्साहन राशि रू० 300/–में अतिरिक्त रूपये 300/–की वृद्धि करते हुए प्रति प्रसव रू० 600/–की दर से भुगतान किये जाने की स्वीकृति के संबंध में। — **33.** स्वीकृत।

निर्वाचन विभाग

34. भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के पत्रांक–464/आई० एन०एस०टी०/2022–ई०पी०एस० दिनाक–16.06.2025 द्वारा दिये गये निदेश के आलोक में आगामी बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2025 में राज्य के सभी 90712 मतदान केन्द्रों पर प्रति मतदान केन्द्र 02 (दो) कैमरा का अधिष्ठापन सहित शत–प्रतिशत वेबकास्टिंग किये जाने, सभी चेक पोस्ट एवं मतगणना केन्द्रों पर कैमरों से निगरानी तथा विभिन्न प्रशासनिक स्तरों पर इसका अनुश्रवण हेतु मानव बल एवं वेबकास्टिंग की वयवस्था कराये जाने पर होने वाले आकलित व्यय की कुल राशि रू० 154,30,25,193/–(एक सौ चौवन करोड़ तीस लाख पच्चीस हजार एक सौ तिरानवे रूपये) की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में। — **34.** स्वीकृत।

उद्योग विभाग

35. मुजफ्फरपुर जिला अन्तर्गत–पारू मौजा–चैनपुर चिहुँटाहा, थाना नं०–287, रकबा–250 एकड़, मौजा–भोजपट्टी, थाना नं०–289, रकबा–95 एकड़, मौजा–चतुरपट्टी, थाना नं०–288, रकवा–150 एकड़, मौजा–हरपुर कपरफोरा, थाना नं०–290, रकवा–120 एकड़ एवं मौजा–विशुनपुर सरैया (चादर नं०–2), थाना नं०–291, रकवा–85 एकड़ अर्थात कुल समेकित भूमि 700 एकड़ भूमि का आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, पटना के माध्यम से अधिग्रहण एवं अधिग्रहण की प्राक्कलित राशि क्रमशः 2,97,18,27,225 (रूपये दो अरब संतानवें करोड़ अठारह लाख सताईस हजार दो सौ पच्चीस) मात्र के व्यय की स्वीकृति के संबंध में। — **35.** स्वीकृत।

उद्योग विभाग

36. सुपौल जिला अन्तर्गत अंचल–सरायगढ़–भपटीयाही के सरायगढ़ मौजा से 250 एकड़ एवं अंचल–पिपरा के विशनपुर मौजा से 248 एकड़ 06 डिसमिल अर्थात 498.06 एकड़ भूमि का आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, पटना के माध्यम से अधिग्रहण एवं अधिग्रहण की प्राक्कलित राशि 1,51,74,85,547.00 (रूपये एक अरब एक्यावन करोड़ चौहत्तर लाख पच्चासी हजार पाँच सौ सैतालीस) मात्र के व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

36. स्वीकृत।